वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस विज्ञप्ति

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्ति प्राप्त करने हेतु विशेष कैम्प के द्वितीय सप्ताह का चतुर्थ दिवस।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जुलाई माह के अंतिम सप्ताह एवं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में वाराणसी विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियों के विक्रय हेतु दिनांक 25.07.2022 से दिनांक 06.08.2022 तक दो चरणों में ई-नीलामी तथा समस्त अवधि के कार्यदिवसों में "विशेष संपत्ति कैंप" का आयोजन होगा।

विशेष कैम्प के अंतर्गत आम जनमानस को एक ही स्थान पर निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध करायी जा रही है:-

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी (ऑफलाइन/ऑनलाइन) जुलाई माह के अंतिम सप्ताह दिनांक 25-07-2022 से 30-07-2022 एवं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में दिनांक 01.08.2022 से 06.08.2022 तक आहूत की गयी है। जिसमें विभिन्न योजनाओं की 116 सम्पत्तियों को नीलामी के आधार पर तथा 35 संपत्तियों प्रथम आगत प्रथम स्वागत के आधार पर विक्रय हेतु सम्मिलित किया गया है। योजनावार विक्रय हेतु उपलब्ध संपत्तियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.vdavns.com** पर उपलब्ध है।

आज दिनाँक 03-08-2022 को "विशेष सम्पत्ति कैम्प" के द्वितीय सप्ताह के चतुर्थ दिवस पर, कैंप में प्रभारी अधिकारी संपत्ति, सहायक संपत्ति अधिकारी एवं संपत्ति अनुभाग के अन्य समस्त कार्मिकों एवं विभिन्न सहयोगी बैंकिंग प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

"विशेष सम्पत्ति कैम्प" के द्वितीय सप्ताह के चतुर्थ दिवस पर कुल 24 आगंतुकों द्वारा कैंप में प्रतिभाग किया गया, जिसमे रजिस्ट्री संबन्धित कार्यों एवं भू-खण्ड/आवास क्रय से संबन्धित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त कैंप के द्वितीय दिवस पर निम्नवत कार्यवाहियाँ संपादित की गयी:-

- प्राधिकरण की पूर्ण भुगतान की गयी सम्पत्तियों में 04 सम्पत्तियों की रजिस्ट्री संपादित कराई गयी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत 01 आवंटी को मौके पर कब्जा प्रदान कराया गया।
- अनुभाग द्वारा 01 डीड रजिस्ट्री हेतु तैयार कराया गया, जिनकी रजिस्ट्री आगामी कैंप दिवस में की जायेगी।
- प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में किराए पर दी गयी सपत्तियों के अंतर्गत बकाये किराए किस्त के मद में कुल रु. 2,000/- वसूली कर प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत आवंटियों को बकाया धनराशि जमा कराये जाने हेतु दूरभाष एवं नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया।
- संपत्ति अनुभाग से संबन्धित जन शिकायतों का प्राथमिकता पर कैंप में निस्तारण कराया जा रहा है।